

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2018, लखनऊ, दिनांक : 26 :जून- 2018,

--: आदेश:--

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह जुलाई- 2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र० सं० 01	बैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05
1-	पीठ-1 आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	02.07.18 से 06.07.18	पीठ-1आगरा(न्याय0) व पीठ-2 नोएडा (वि0)
2-	पीठ-बरेली	पीठ-बरेली	05.07.18 से 07.07.18	पीठ-बरेली (न्याय0) व पीठ-2आगरा (वि)
3-	पीठ-गोरखपुर	पीठ-गोरखपुर	02.07.18 से 04.07.18	पीठ-गोरखपुर (न्याय0) व पीठ-4कानपुर (वि0)
4-	कानपुर पीठ-1कानपुर	पीठ-1, 2, 3 व 4 कानपुर	02.07.18 से 06.07.18	पीठ-1नोएडा (न्याय0) व पीठ-2 कानपुर(वि0)
5-	पीठ-1 नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	02.07.18 से 06.07.18	पीठ-1,गाजियाबाद (न्याय0) व पीठ मुरादाबाद (वि0)

ह0-26.6.18

(विकार अहमद अन्सारी)

एच0जे0एस0


अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/1228/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 3-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,


26-6-2018
निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।